

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनुभाग-7
संख्या- 104/XXVII(7)7/2017
देहरादून : दिनांक-26 मई, 2017

अधिसूचना संख्या- 73/XXVII(7)7/2017 दिनांक-26 मई, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2017 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय रुडकी को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करते हुए प्रकाशित अधिसूचना की 300 प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड एकक, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनुभाग-7
संख्या- 73/XXVII(7)7/2017
देहरादून : दिनांक 26 मई, 2017

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2017 है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- (3) इस नियमावली में जहां-जहां शब्द "उत्तरांचल" उल्लिखित है उसके स्थान पर शब्द "उत्तराखण्ड" पढ़ा जाय।

मूल नियमावली, 2006 के नियम-2 (1) का संशोधन।

2. उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम-2(1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रस्तावित नियम
<p>(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-</p> <p>(क) ऐसे समूह "घ" के कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिनका लेखा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है, "लेखा अधिकारी" से सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में अधिकारी अभिप्रेत है जिसको भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा का अनुरक्षण करने का कार्य सौंपा गया हो;</p>	<p>(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-</p> <p>लेखा अधिकारी का तात्पर्य, समूह 'घ' के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखे का अनुरक्षण करने वाला अधिकारी;</p>

He

नियम-2 (ग) (तीन) का संशोधन।

3. मूल नियमावली के नियम-2 के खण्ड (ग) के प्रस्तर-(तीन) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

(तीन) अभिदाता पर पूर्णतः आश्रित अविवाहित भाई और बहन।

(तीन) अभिदाता पर पूर्णतः आश्रित माता-पिता, अविवाहित भाई और बहन।

नियम-13(2)(तीन) का संशोधन।

4. मूल नियमावली के नियम-13(2)(तीन) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

(तीन) अभिदाता की परिस्थिति के अनुकूल पैमाने पर आबद्ध कर व्यय की पूर्ति पर जिसे अभिदाता द्वारा रुढ़िगत प्रभाव के अनुसार अभिदाता के नियम के सम्बन्ध में भी उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाह, अन्त्येष्टि या अन्य गृह कर्म के सम्बन्ध में उपगत करना हो।

(तीन) अभिदाता के परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाह, अन्त्येष्टि, जनेऊ संस्कार या अन्य धार्मिक एवं गृह कर्म के व्यय हेतु।

नियम-13(4)(एक) का संशोधन।

5. मूल नियमावली के नियम-13(4)(एक) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

अभिदाता के तीन मास के वेतन या निधि में उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा या

अभिदाता के छः मास के वेतन या निधि में उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।

नियम-16 (1) (अ) का संशोधन।

6. मूल नियमावली के नियम-16 (1) (अ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

अभिदाता द्वारा बारह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात् बहाली हो गयी हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियों यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षता पर उसकी सेवा-निवृत्ति के दिनांक से पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात्:

अभिदाता द्वारा दस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात् बहाली हो गयी हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियों यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षता पर उसकी सेवा-निवृत्ति के दिनांक से पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि में से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात्:

● नियम-16 (1) (अ) (क) का संशोधन।

7. मूल नियमावली के नियम-16 (1) (अ) (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

निम्नलिखित मामलों में:	(एक) हाईस्कूल के बाद शैक्षिक, प्राविधिक, वृत्तिक, व्यवसायिक, चिकित्सा, अभियन्त्रण या अन्य विशेषित पाठ्यक्रम में, अभिदाता या उस पर आश्रित परिवार के सदस्य की उच्चतर शिक्षा हेतु।
(एक) हाईस्कूल के बाद शैक्षिक प्राविधिक, वृत्तिक या व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए भारत के बाहर शिक्षा और	
(दो) हाईस्कूल के बाद भारत में चिकित्सा, अभियन्त्रण या अन्य प्राविधिक विशेषित पाठ्यक्रम में, अभिदाता या अभिदाता की किसी आश्रित संतान के उच्चतर शिक्षा पर व्यय जिसके अन्तर्गत जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है, की पूर्ति के लिये।	

नियम-16(1)(ब) का संशोधन।

8. मूल नियमावली के नियम-16(1)(ब) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हों, भी हैं) पूरा करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती 10 वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, और वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 में दिये गये नियमों के अधीन मोटरकार, मोटर साईकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी हैं) के क्रय के लिए अग्रिम की पात्रता के लिए प्रवृत्त वेतन के सम्बन्ध में निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि में निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिये, अर्थात्;	अभिदाता द्वारा दस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हों, भी हैं) पूरा करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती 10 वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, दुपाहिया अथवा चौपाहिया वाहन के क्रय/व्यापक मरम्मत, कम्प्यूटर लैपटॉप अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा पहले से लिये गये अग्रिम के प्रतिदान के लिये।
---	---

9. मूल नियमावली के नियम-16 (1) (ब) (एक) व (दो) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

नियम-16(1)(स) का संशोधन

10. मूल नियमावली के नियम-16(1)(स) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करनेके पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती दस वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि में निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात्:

(क) उसके आवास के लिए उपयुक्त मकान बनाने या उपयुक्त मकान या तैयार प्लैट के अर्जन के लिए जिसके अन्तर्गत भूमि का मूल्य भी है;

(ख) उसके आवास के लिए उपयुक्त मकान बनाने या उपयुक्त मकान या तैयार बने प्लैट के अर्जन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के मददे बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिए;

(ग) उसके आवास के लिए, मकान बनाने के लिए भूमि कय करने या इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के मददे किसी बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिए;

(घ) अभिदाता द्वारा पहले से स्वामित्व में रखे गये या अर्जित किये गये मकान या प्लैट के पुनर्निर्माण करने या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिये;

(ङ) पैतृक गृह का पुनरुद्धार, परिवर्धन या परिवर्तन या अनुरक्षण करने के लिये,

(च) उप खण्ड (ग) के अधीन कय किये गये स्थान पर मकान बनाने के लिये,

अभिदाता द्वारा बारह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियां यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती दस वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि में से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात्:

(क) भूमि/भवन/प्लैट के कय/अर्जन अथवा पैतृक गृह अथवा स्वयं के मकान बनाने/ मरम्मत/पुनरुद्धार के लिये अथवा उक्त हेतु लिये गये ऋण के प्रतिदान के लिये।

नियम-17(1) का संशोधन।

11. मूल नियमावली के नियम-17(1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से नियम 16 के खण्ड (क), (ग), (घ) या (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उद्देश्य जिसके

नियम 16 में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहत कोई धनराशि खाते में जमा धनराशि के दो तिहाई से अधिक नहीं होगी।

लिये प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (दो) निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक ध्यान रखते हुये, इस सीमा से अधिक धनराशि का, जो निधि में उसके जमाखाते के अतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है:

परन्तु किसी भी मामले में नियम 16 के उप नियम (1) के खण्ड (स) के उप खण्ड (घ) और (ड) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि 40,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

12. मूल नियमावली के नियम 17 की टिप्पणी-1, टिप्पणी-2(क), टिप्पणी-2(ख), टिप्पणी-2(ग) व टिप्पणी-4 को एतद्वारा निरसित किया जाता है।

13. मूल नियमावली के नियम 19 को एतद्वारा निरसित किया जाता है।

नियम-23 का संशोधन।

14. मूल नियमावली के नियम-23 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर समूह "घ" के अभिदाताओं के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी और अन्य मामलों विभागाध्यक्ष निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये, ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 03 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने के लिये हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण करने का प्रबन्ध करेगा।

(1) मृत्यु के मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान ऐसे अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान अतिशेष किसी भी समय निम्नलिखित की सीमा से कम न हुआ हो-

(क) ऐसे अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 13500 रुपये या अधिक हो के मामले में 30,000 रुपये,

(दो) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो

सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अथवा कार्यालयाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष, जो भी स्थिति हो, अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 03 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के बराबर अथवा रु0 30,000 जो भी कम हो, अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने के लिये हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण करने का प्रबन्ध करेगा।

<p>जिसके वेतनमान का अधिकतम 9,000 रुपये या अधिक किन्तु 13, 500 रुपये से कम हो, के मामले में 27,000 रुपया, (तीन) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का न्यूनतम 4,000 रुपये या इससे अधिक किन्तु 9,000 रुपये से कम हो, के मामले में 12,000 रुपया, (चार) (क) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 4,000 रुपये से कम हो, के मामले में 10,000 रुपया; (ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि 30,000 रुपये से अधिक नहीं होगी; (ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।</p>	
--	--

नियम-24 के उप नियम (4) व (5) का संशोधन।

15. मूल नियमावली के नियम-24 के उप नियम (4) व (5) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात्

<p>(4) किसी अभिदाता के मामले में जो समूह "घ" का कर्मचारी है लेखा अधिकारी प्ररूप-425(ख) में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना समायोजन यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि पास बुक में उसके नाम विद्यमान धनराशि का भुगतान अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि देय हो जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर करेगा।</p>	<p>(4) किसी अभिदाता के मामले में जो समूह "घ" का कर्मचारी है लेखा अधिकारी प्ररूप-425 में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना समायोजन यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि पास बुक में उसके नाम विद्यमान धनराशि का भुगतान अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि देय हो जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर करेगा।</p>
<p>(5)(क) समूह "घ" के कर्मचारियों से भिन्न अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी तृतीय अनुसूची के प्रारूप-425(क) में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना विहित प्रपत्र चालू और पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों की परिकलन शीट चार प्रतियों में तैयार करेगा और धनराशि देय हो जाने के दिनांक से एक मास के भीतर परिकलन शीट की तीन प्रतियां सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध लेखे</p>	<p>(5)(क) समूह "घ" के कर्मचारियों से भिन्न अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी तृतीय अनुसूची के प्रारूप-425 में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना विहित प्रपत्र चालू और पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों की परिकलन शीट चार प्रतियों में तैयार करेगा और धनराशि देय हो जाने के दिनांक से एक मास के भीतर परिकलन शीट की तीन प्रतियां सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ</p>

का मामला निपटाने वाले वरिष्ठतम अधिकारी को अग्रसारित करेगा, जो उनकी समुचित जांच करके उन्हें एक मास के भीतर स्वीकृति प्राधिकारी को सामान्य भविष्य निधि पास बुक के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने के लिए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेगा और उसकी सूचना परिशिष्ट "ग" में दिये गये प्रपत्र में सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी, कोषागार अधिकारी और लेखा अधिकारी को देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।

विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध लेखे का मामला निपटाने वाले वरिष्ठतम अधिकारी को अग्रसारित करेगा, जो उनकी समुचित जांच करके उन्हें एक मास के भीतर स्वीकृति प्राधिकारी को सामान्य भविष्य निधि पास बुक के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने के लिए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेगा और उसकी सूचना परिशिष्ट "ग" में दिये गये प्रपत्र में सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी, कोषागार अधिकारी और लेखा अधिकारी को देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।

(ख) स्वीकृता प्राधिकारी प्ररूप 425 (क) या 425 (ख) में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना 90 प्रतिशत अतिशेष की स्वीकृति आदेश की प्रति और सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ परिकलन शीट की प्रतियों सहित लेखा अधिकारी को अग्रसारित करेगा जिससे कि वह अवशिष्ट धनराशि का भुगतान प्राधिकृत कर सके। अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के मामले में ये अभिलेख सेवानिवृत्ति के दिनांक के तीन मास पूर्व और अन्य मामलों में बिना परिहार्य विलम्ब के अग्रसारित किया जायेगा। लेखा अधिकारी लेखा का समाधान करने के पश्चात् और समायोजन के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, अवशिष्ट धनराशि के भुगतान का आदेश देगा, जिससे कि पाने वाला अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को या उसके पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे दिनांक से तीन मास के भीतर ही और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।

(ख) स्वीकृता प्राधिकारी प्ररूप 425 में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना 90 प्रतिशत अतिशेष की स्वीकृति आदेश की प्रति और सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ परिकलन शीट की प्रतियों सहित लेखा अधिकारी को अग्रसारित करेगा जिससे कि वह अवशिष्ट धनराशि का भुगतान प्राधिकृत कर सके। अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के मामले में ये अभिलेख सेवानिवृत्ति के दिनांक के छः मास पूर्व और अन्य मामलों में बिना परिहार्य विलम्ब के अग्रसारित किया जायेगा। लेखा अधिकारी महालेखाकार द्वारा जारी अध्यावधिक जी०पी०एफ० वार्षिक लेखा पर्वी से लेखा का समाधान करने के पश्चात् और समायोजन के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, अवशिष्ट धनराशि के भुगतान का आदेश देगा, जिससे कि पाने वाला अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को या उसके पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे दिनांक से तीन मास के भीतर ही और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।

आज्ञा से,
(राधा-स्तूडी)
प्रमुख सचिव।

(नियम 24)

प्रारूप-425

सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप।

सेवा में,

(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

महोदय,

मैं सेवानिवृत्त होने वाला/वाली हूँ। मास के लिए सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया/गयी हूँ/सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे चुकी हूँ और त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। मैं दिनांक के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया/गयी हूँ।

2- मैं अनुसोध करता/करती हूँ के मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में मेरे जमा खाते में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान मुझे किया जाय। मेरे भविष्य निधि लेखा संख्या..... है तथा मेरा यूनिक इम्प्लॉयमेंट कोड संख्या..... है।

3- मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि सामान्य भविष्य निधि पास बुक में अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक धनराशि का कोई भुगतान मुझे किया जाता है और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन अवशिष्ट (भाग-दो के अनुसार अनुमन्थ) धनराशि के भुगतान से या उपादान से न किया गया हो तो मैं ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान सरकार को कर दूंगा/दूंगी।

स्थान.....

दिनांक.....

भवदीय

(हस्ताक्षर)

नाम और पता

ke

भाग- दो

सामान्य भविष्य निधि, लेखा में अवशिष्ट धनराशि का अंतिम भुगतान करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

महालेखाकार लेखा एवं हकदारी एक/दो,

उत्तरांचल, देहरादू।

(आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से)

महोदय,

मैं सेवानिवृत्त होने वाला/वाली हूँ.....मास के लिए सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया/गयी हूँ/सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे चुका/चुकी हूँ और त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है। मैं दिनांक के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवामुक्त/पदच्युत कर दिया गया/गयी हूँ।

2- मैं अपने सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या..... में अपने जमा खाते में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिए एक आवेदन पत्र (उर्पयुक्त भाग एक द्वारा) प्रस्तुत कर दिया गया है। मैं एतद्वारा अनुरोध करता/करती हूँ कि मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात् अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे आहरण एवं वितरण अधिकारी/कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से करा दिया जाय।

स्थान

दिनांक

भवदीय
(हस्ताक्षर)
नाम और पता

भाग-तीन

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत का अंतिम भुगतान करने के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप।

(नामांकितियों द्वारा या यदि कोई नामांकन ना हो, तो अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किये जाने हेतु)

सेवा में,

.....

(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

महोदय,

यह अनुरोध किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... के सामान्य भविष्य निधि लेखा में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने का प्रबन्ध किया जाय। आवश्यक विवरण नीचे दिये गये हैं:-

Ac

- 1- सरकारी सेवक का नाम.....
- 2- सरकारी सेवक द्वारा धृत पद.....
- 3- मृत्यु का दिनांक (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न कीजिए).....
- 4- मृत अभिदाता का भविष्य निधि लेखा संख्या..... तथा यूनिट इम्प्लायमेंट कोड संख्या..... है।
- 5- अभिदाता के नियम-2 में यथा परिभाषित परिवार के सदस्यों का ब्यौरा:-

क्रम संख्या	नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को आयु	अभिदाता की पुत्री या अभिदाता के मृत पुत्र की पुत्री के मामले में यह उल्लेखित करें कि वह अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को अविवाहित थी या विवाहित थी या विधवा थी
1	2	3	4	5

- 6- अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को जीवित नामांकितियों का ब्यौरा, यदि नामांकन हो:-

क्रम संख्या	नामांकित का नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	नामांकित का अंश	दावा का कारण यदि नामांकित अभिदाता के परिवार का सदस्य न हो
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				

- 7- किसी अवयस्क की देय धनराशि के मामले में दावे का समर्थन यथास्थिति, क्षतिपूर्ति बंध पत्र या संरक्षण प्रमाण पत्र द्वारा किया जाना चाहिये।

- 8- यदि अभिदाता का कोई परिवार न हो और, कोई नामांकन न हो, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम जिनको भविष्य निधि की धनराशि देय हो (देय प्रोबेट-पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र आदि द्वारा समर्थित किया जायेगा)

क्रम संख्या	नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	पता
1			
2			
3			
4			

le

9- भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से/..... कोषागार/उप कोषागार के माध्यम से वांछित है। इस सम्बन्ध में सेवारत राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट, द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है:-

एक- वैयक्तिक पहचान के चिन्ह-

दो- बांये/दांये हाथ का अंगुठे और अंगुलियों के निशासन (अशिक्षित दावेदारों के मामले में)

तीन- नमूने के हस्ताक्षर, दो प्रतियों में (शिक्षित दावेदारों के मामले में)

10- मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि यदि सामान्य भविष्य निधि पासबुक में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक किसी धनराशि का भुगतान मुझे/हम लोगों को किया गया हो और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन (भाग चार के अनुसार अनुमन्य) अवशिष्ट धनराशि के भुगतान से या उपादान से नहीं किया गया है। तो मैं/हम लोग सरकार को ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान करूंगा/करूंगी/करेंगे।

भवदीय

(दावेदार/दावेदारों) के हस्ताक्षर
पूरा नाम और पता

भाग-चार

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अवशिष्ट धनराशि के अंतिम भुगतान के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप (नामाकितियों द्वारा यदि कोई नामांकन न हो तो अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किये जाने के लिए)

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) एक/दो

उत्तरांचल देहरादून।

(आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से)

महोदय,

मैंने/हम लोगों ने श्री/श्रीमती..... के सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या..... में अतिशेष के 90 प्रतिशत का, नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिए एक आवेदन पत्र (उपर्युक्त भाग तीन द्वारा) प्रस्तुत कर दिया है। एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त अतिशेष के 90 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे/हम लोगों को आहरण एवं वितरण अधिकारी..... कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से किया जाय।

स्थान

दिनांक

भवदीय

(दावेदार/दावेदारों) के हस्ताक्षर
पूरा नाम और पता

(आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपयोग के लिए)

- 1- श्री/श्रीमती..... का भविष्य निधि लेखा संख्या..... हैं।
- 2- वह सेवानिवृत्त हो गया है/हो गयी है/सेवानिवृत्त होगा/होगी मास के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है/चली गयी है/ उसने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया है, और उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। उसे दिनांक के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया है।
- 3-रुपये की अन्तिम कटौती और अग्रिम की वापसी के लिए रूपये की वसूली उसके वेतन से कोषागार केवाउचर संख्या..... दिनांकसे किया गया था और उसे उपर्युक्त वाउचर के साथ संलग्नरुपये की सामान्य भविष्य निधि अनुसूची में सम्मिलित किया गया।
- 4- प्रमाणित किया जाता है कि उसे चालू वर्ष तथा पांच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में न तो कोई अस्थायी अग्रिम स्वीकृत किया गया है और न उसके भविष्य निधि लेखा से कोई अंतिम प्रत्याहरण किया गया था।

या

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित अंतिम प्रत्याहरण या अनन्तिम अस्थायी अग्रिम उनको स्वीकृत किये गये थे और चालू तथा पांच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान उनके भविष्य निधि लेखा से प्रत्याहृत किये गये थे।

(क)- अंतिम प्रत्याहरण-

क्रम संख्या	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण दिनांक	का	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखाशीर्षक
1						
2						
3						
4						

(ख)- अस्थायी अग्रिम:-

क्रम संख्या	अग्रिम की धनराशि	आहरण दिनांक	का	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखाशीर्षक	मास और वर्ष जिसमें वसूली पूरी हुई
1							
2							
3							
4							

- 5- दिनांक (वह दिनांक जब धनराशि देय हो चुकी हो) को उसकी सामान्य भविष्य निधि पास बुक में यथा अतिशेष जिसके अन्तर्गत उस दिनांक तक देय ब्याज और (बोनस यदि कोई हो) भी है, संलग्न परिकलन शीट के अनुसाररुपये (अंकों में) रूपया (शब्दों में)..... है और उपर्युक्त अतिशेष का 90 प्रतिशतरूपया होता है।

Te

6- प्रमाणित किया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित कोई वसूली उससे नहीं की जानी है। अतएव ...
 रुपये (अंको में) रुपये शब्दों में जो अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि पासबुक में
 अतिशेष का 90 प्रतिशत है का भुगतान
 अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो दावेदार/दावेदारों के नाम को करने की संस्तुति की जाती है।

या

सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित निम्नलिखित वसूलियां अभिदाता से की जाती हैं।

क्रम संख्या	वसूलियों का विवरण	धनराशि (रु०)
1		
2		
3		
4		

ऊपर वर्णित वसूलियों के मददे रुपये की धनराशि की कटौती करने के पश्चात् अभिदाता के
 सामान्य भविष्य निधि पासबुक में अतिशेष के केवल 90 प्रतिशत में से (अभिदाता का यदि उसकी मृत्यु
 हो गई है तो दावेदार/दावेदारों का नाम) को रुपये (अंको में)
 रुपये (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है।

8- अभिदाता की मृत्यु दिनांक को हुई। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है।

9- परिकलन शीट (तीन प्रतियाँ में) और शेष धनराशि के भुगतान के आवेदन पत्र सहित को
 अग्रसारित।

दिनांक

आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

जांचकर्ता लेखा प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिए

1- प्रमाणित किया जाता है कि मैंने संलग्न परिकलन शीट और उपर्युक्त गणनाओं की जांच कर ली है, जो सही
 है

2- रुपये (अंकों में) रुपये (शब्दों में) के

3- (स्वीकृति प्राधिकारी) को अग्रसारित।

दिनांक

जांचकर्ता लेखा प्राधिकारी के
 हस्ताक्षर और मुहर



स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिए

1-(अभिदाता का यदि उसकी मृत्यु हो गयी है तो दावेदार/दावेदारों के नाम) को
.....रूपये (अंकों में)रूपये (शब्दों में) का भुगतान स्वीकृत किया गया।

2- शेष धनराशि के भुगतान का आवेदन पत्र तथा परिकलन शीट और सामान्य भविष्य निधि पासबुक महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून को अग्रसारित की गयी। सामान्य भविष्य निधि पासबुक भुगतान प्राधिकृत करने के पश्चात् आहरण एवं वितरण अधिकारी को वापस की जाय।

दिनांक

स्वीकृति प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

यदि अभिदाता की मृत्यु हो गयी हो तो कम संख्या 8 के विरुद्ध सूचना प्रस्तुत की

